म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/नं.मं./10/3/ताल/ 1337 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय, ... (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.........................(समस्त)
जिला ....(म0प्र0)

विषय:- प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी का स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/उपमंडी प्रांगण का विस्तार या मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में दिशा-निर्देश बावत्।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/नवीनमंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16/07/2021।

......000....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में विस्तारित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

किन्तु कतिपय रूप से यह देखने मे आ रहा है कि अधिकांश आंचलिक कार्यालयों से प्रस्ताव की वाणिज्यिक व्यवहारिकता, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा अन्य निर्धारित मापदण्डों एवं जारी परिपत्र के अनुसार पूर्ण परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना ही प्रस्ताव सीधे मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं, जो उचित नहीं है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/ उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है-

1/ जन प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्राप्त सुझाव पत्र पर उस क्षेत्र विशेष की मंडी समिति सर्वप्रथम उस ग्राम/नगर/स्थान में मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार या नवीन मंडी प्रांगण की उपयुक्तता का परीक्षण करेंगी, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से पहुंच मार्ग, पानी, बिजली आदि की उपलब्धता एवं उस पर संभावित व्यय का आंकलन, व्यापारियों एवं किसानों के आवागमन की सुविधा एवं सुरक्षा आदि का आंकलन कर टीप अंकित की जायें।

2/ इसके पश्चात उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संदर्भ मे कंडिका 01 में उल्लेखानुसार मंडी समिति प्रस्ताव/ठहराव कर वस्तुस्थिति से संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय को अवगत कराएगी, जिस पर आंचलिक कार्यालय प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा कर, कि मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण व्यवहार्य है या नहीं, की टीप अंकित कर वरिष्ठालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3/ शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, वर्तमान में प्रचलित प्रश्नावली एवं जांच रिपोर्ट, मंडी समिति के प्रस्ताव/ठहराव आदि का समावेश होने पर वरिष्ठालय द्वारा गठित समिति के आदेश क्रमांक/नवीन मंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16-07-2021 से अनुमोदित प्रतिवेदन/प्रस्ताव अनुसार आंचलिक कार्यालय/मण्डी समिति स्तर पर नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

4/ नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत भूमि आदेश/आधिपत्य प्राप्त होने की सूचना विधिवत वरिष्ठालय को दी जावें। विविधत सूचना/आदेश प्राप्त होने पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। पश्चात में भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने की विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कराकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिसूचना का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जावे।

5/ वरिष्ठालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात शासन से समन्वय कर अधिसूचना के प्रकाशन की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

01/12/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/नं.मं./10/3/ताल/ 1338 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल मुख्यालय।
2. अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक/अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, मुख्यालय।
3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय/ तकनीकी संभाग, ...(समस्त)।
4. ऋण स्वीकृति/लेखा/विधि/निर्माण/वि.जांच शाखा/आदि।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Mangal